राजा लाल सिंह

बनाम

झारखंड राज्य

मई 08, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860

धारा 304-बी/34- मृतका भवन की पहली मंजिल पर अपने कमरे में फांसी के कारण मृत पाई गईं- यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि जेठ और जेठानी जो भवन के भू-तल पर रहते थे, का उस घटना में हाथ हो जिससे उसकी मृत्यु हुई- उन्हें संदेह का लाभ दिया गया- दोषसिद्धि को आपस्त किया गया- धारा 304-बी- प्रयोज्यता- मृतका को पति द्वारा दहेज में सामान नहीं लाने पर प्रताड़ित किया जाना- आत्महत्या करना- धारा 304-बी लागू है- पति की दोषसिद्धि सही है- धारा 304-बी- अभिव्यक्ति 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले- अर्थ- चर्चा की गई।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतका की शादी अपीलकर्ता से हुई थी। 3 महीने के पश्चात, वह अपने माता-पिता के घर वापस आई और अपने पिता पी.डब्लू.-5 को बताया कि उसके पति, जेठ और जेठानी उसे दहेज का सामान नहीं लाने के लिए परेशान कर रहे हैं। उसने अपनी बेटी को आश्वासन दिया कि वह मांग पूरी करेंगे। शादी के 7 महीने के अंदर ही, मृतका के पिता को अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला। वह अपने बेटों के साथ अपनी बेटी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतका का शव भवन की ऊपरी मंजिल पर कमरे में रखी चौकी पर लेटा हुआ देखा। पूछने पर

उनके दामाद ने बताया कि मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पति, जेठ और जेठानी के खिलाफ धारा 304-बी/34 भा.द.सा. के तहत मामला पंजीकृत किया गया। डॉक्टर पी.डब्लू.-7, जिसने पोस्टमार्टम किया, की राय थी कि मौत फांसी लगाने के कारण दम घुटने से हुई है। जबकि, अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि यह आत्महत्या का मामला है। विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को धारा 304-बी/34 भा.द.सा. के तहत दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखा। जेठ और उसकी पत्नी ने अपील सं. 514/2006 और पति ने अपील संख्या 513/2006 दायर की।

अपील संख्या 513/2006 को खारिज करते हुए और अपील संख्या 514/2006 को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. अपीलार्थी- पति अपनी पत्नी के साथ भवन की प्रथम मंजिल पर रहता था, जबकि जेठ और उसकी पत्नी भू-तल पर रहते थे। स्वीकृत है कि, मृतका की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई, जो कि प्रथम मंजिल पर उसके पति के कमरे में हुई। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी जेठ और उसकी पत्नी का उस घटना में कोई हाथ था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, और किसी भी स्थिति में संदेह का लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रश्नगत भवन के भू-तल पर रह रहे थे। निःसंदेह, कुछ गवाह जैसे कि पी.डब्लू.-5, जो मृतका के पिता हैं और पी.डब्लू.-3 मृतका का भाई हैं, ने कथन किया है कि मृतका ने उन्हें बताया था कि दहेज की मांग न केवल पति, बल्कि जेठ और उसकी पत्नी ने भी की थी, किन्तु यह संभव है कि जेठ और उसकी पत्नी का नाम केवल उन्हें फंसाने के लिए लिया गया है जैसा कि अक्सर 498-ए और 394 भा.द.सा. जैसे मामलों में होता है। [पैरा 13 और 14] [110-ए-सी]

कामेश पंजियार@कमलेश पंजियार बिहार राज्य, [2005] 2 एस.सी.सी 388, पर भरोसा किया गया।

2. मृतका का पति उसके साथ उसी प्रश्नगत भवन की प्रथम मंजिल पर रहता था। इसलिए, यह उसे स्पष्ट करना था कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार से हुई। वह उसी कमरे में छत के पंखे पर एक साड़ी से लटकी हुई पायी गयी थी जहां वह अपने पति के साथ रहती थी। हालाँकि, अपीलार्थी- पति इस संबंध में साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। जहां तक कि धारा, 304-बी का संबंध है यह प्रासंगिक नहीं है कि यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का। [पैरा 15 और 16] [110-ई-जी]

सतवीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [2001] 8 एस.सी.सी 633, पर भरोसा किया गया।

3. धारा 304-बी के आवश्यक घटक हैं (I) किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों, के अलावा अन्य परिस्थिति में हुई। (ii) उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की किसी भी मांग के संबंध में वह क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार हुई हो। मृतका की विवाह के लगभग 7 माह बाद मृत्यु हुई। साथ ही, साक्ष्य में यह बात भी आई कि उसकी मृत्यु से ठीक 10 या 15 दिन पूर्व उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। यह पी.डब्लू.-5 और पी.डब्लू.-3 की साक्ष्य में आया है और हमें उन पर विश्वास न करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। उसे पहले भी दहेज की मांग के कारण उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था, जब वह अगस्त, 2000 में अपने माता-पिता के घर गई थी, जैसा कि पी.डब्लू. 5 की साक्ष्य में आया हैं। इस प्रकार, धारा 304-बी भा.द.सा. के तत्वों कि प्रतिपूर्ति होती है।

[पैरा 17] [110-एच; 111-ए-बी]

टी. अरुन्तपेरुन्जोथी बनाम राज्य, [2006] 9 एस.सी.सी 467, पर भरोसा किया गया।

4. "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" शब्द का अर्थ उसकी मृत्यु से तुरंत पहले होना जरूरी नहीं है। यह वाक्यांश एक प्रत्यास्थ अभिव्यक्ति है और यह मृतका की मृत्यु से तुरंत पहले या मृत्यु से कुछ दिनों या कुछ हफ्तों पहले की अवधि को संदर्भित कर सकता है। मृतका की मृत्यु और दहेज संबंधी उत्पीड़न या क्रूरता के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। [पैरा 18] [111-सी-डी]

5. मृतका की मृत्यु और दहेज संबंधी उत्पीड़न के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। यहां तक कि यदि मृतका के द्वारा आत्महत्या ही की हो, फिर भी धारा 304-बी लागू हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अत्यधिक दुखः व अवसाद के कारण आत्महत्या कर लेता हैं। इस प्रकार, यहां तक कि यदि मृतका द्वारा आत्महत्या की गई हो, यह प्रत्यक्ष रूप से इसलिए थी क्योंकि वह अत्यंत दुखी थी, और जब तक उसके पति ने आत्महत्या के लिए कोई संतोषजनक वैकल्पिक स्पष्टीकरण नहीं दिया, तब तक यह मानना होगा कि दहेज की लगातार मांग के कारण उसने आत्महत्या की। साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि मृतका के पिता एक गरीब व्यक्ति थे और उनके पास तुरंत दहेज देने के लिए रूपये नहीं थे और वह समय चाहते थे ताकि वह कहीं से कुछ धन एकत्रित कर सकें, लेकिन अपीलार्थी हृदयहीन थे और वे अपनी मांग की तत्काल पूर्ति करना चाहते थे। चूंकि वह मांग पूरी नहीं हुई, उसने या तो मृतका की हत्या कर दी या दहेज की उक्त मांग के कारण उसे इतना परेशान किया कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई। [पैरा 19] [111-डी-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 513/2006

आपराधिक अपील नं. 974/2003 में झारखंड उच्च न्यायालय रांची के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.10.2005 से

के साथ

आपराधिक अपील नं. 514/2006

पी.एस.मिश्रा, सुनील कुमार, अशोक कुमार सिंह, अवनीश सिन्हा, अनिता कानूनगो और हिमांशु शेखर अपीलार्थी की ओर से।

मनीष कुमार सारण एवं सी.पी. यादव प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा निर्णय दिया गया।

1. ये दोनो अपीलें आपराधिक अपील संख्या 769 और 974/2003 में झारखंड उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 20.10.2005 के विरुद्ध दायर की गई हैं।

2. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

3. मामले के तथ्य यह हैं कि बाघमारे पी.एस. केस नं. 229/2000 के रूप में एक एफ.आई.आर. धारा 304-बी/34 भा.द.सा. के तहत उपरोक्त तीनों अपीलार्थीयों के विरुद्ध दशरथ सिंह (पी.डब्लू.-5) द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पंजीकृत की गयी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसकी बेटी गायत्री देवी (मृतका), उम्र लगभग 19 वर्ष, की शादी अपीलार्थी राजा लाल सिंह से 24.4.2000 को हुई थी और उसने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था। उसकी बेटी अपने ससुराल में तीन महीने रहने के बाद वापस आई और उसे बताया कि उसके पति राजा लाल सिंह, उसका जेठ प्रदीप सिंह और उसकी जेठानी (गोतनी) एक 'पलंग' (बिस्तर) और एक गोदरेज

अलमारी की मांग करते हुए उसे प्रताडित करते थे। सूचनाकर्ता ने उसकी बेटी को जनवरी में उन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, और फिर उसकी बेटी अपने ससुराल चली गयी। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में जब वह अपनी बेटी को देखने ससुराल गया, तो उसने फिर से अपीलार्थी द्वारा पंलग और गोदरेज की उपरोक्त मांग के बारे में बताया और फिर सूचनाकर्ता ने उसके दामाद व उसके भाई साथ ही साथ उसकी पत्नी से बात की और जनवरी में मांग पूरी करने का वादा किया।

4. बताया जाता है कि 28.11.2000 को दुनिया लाल सिंह नामक व्यक्ति सूचक के गांव आया और उसे सूचना दी कि उसकी बेटी की मौत फांसी लगने से हो गयी है। इस सूचना पर, सूचक अपने पुत्रों संतोष सिंह (पी.डब्लू.-3), भोला सिंह और भागीरथ सिंह के साथ बेहराकुदर गांव, यानी जिस गांव में उसकी बेटी की शादी हुई थी, गए और वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी बेटी का शव अपीलकर्ताओं की इमारत की ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में रखी चौकी पड़ा था। पूछे जाने पर, उसके दामाद ने बताया कि मृतका ने गले में साड़ी का फंदा लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। उसके दामाद ने यह भी बताया कि वह कमरे में सो रहा था, वह प्रातः जल्दी उठा तो उसने उसे फांसी पर लटका हुआ देखा। सूचनाकर्ता द्वारा पुनः पूछताछ करने पर उसका दामाद कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। सूचनाकर्ता को संदेह था कि उसकी बेटी की हत्या उसके पति, और जेठ जेठानी ने की है और हत्या की सम्पूर्ण घटना को आत्महत्या का रंग दिया गया है। पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 304-बी/34 भा.द.सा. के तहत दाखिल किया। संज्ञान लिया जाकर मामले को सत्र न्यायालय को कमिट किया गया।

5. बचाव पक्ष का तर्क था कि उन्हे झूठा फंसाया गया है।

6. आरोप साबित करने के लिए, यद्दपि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल मिलाकर आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया और बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाहों का परीक्षण कराया गया।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि पी.डब्लू.-1 रमेश सिंह, पी.डब्लू.-2 गोबर्धन सिंह, पी.डब्लू.-3 संतोष सिंह और पी.डब्लू.-4 अशोक सिंह सूचनाकर्ता पी.डब्लू.-5 के साथ मृतका के ससुराल गए थे। सूचनाकर्ता का एक और बेटा शिव पूजन सिंह पी.डब्लू.-6 हैं, जो कि जब्ती का गवाह है और उसने मृतका की हथेली पर लिखी लिखावट की भी पहचान की है। पी.डब्लू.-7 डॉ. सी.एस. प्रसाद हैं, जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था और पी.डब्लू.-8 कामता सिंह अनुसंधान अधिकारी हैं।

8. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया, बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाहों का परीक्षण किया गया। डी.डब्ल्यू.-1 बिंदेश्वर सिंह, जो कि अपीलार्थीओं का सह-ग्रामीण और पड़ोसी था, जिससे मृतका और उसके पति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध साबित करने के लिए परीक्षण कराया गया। अपीलार्थी के एक अन्य सह-ग्रामीण डी.डब्ल्यू.-2 मंटू सिंह ने कथन किया कि अपीलार्थी प्रदीप सिंह और संजना देवी पृथक्-पृथक् निवास करते थे और अपीलार्थी व मृतका के पति राजा लाल सिंह के मध्य गड़बड़ थी।

9. पी.डब्लू.-7 डॉ. सी.एस. प्रसाद के अनुसार, जिसके द्वारा पोस्टमार्टम व मृतका के शव का परीक्षण किया, मृत्यु का कारण फांसी के परिणामस्वरूप दम घुटना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उनके द्वारा प्रमाणित किया गया तथा प्रदर्श-2 के रूप में अंकित किया गया। हालाँकि, इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि यह आत्महत्या का मामला था।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से लेखबद्ध व पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित

किया कि अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 304-बी/34 भा.द.सा. के तहत आरोप साबित करने में सक्षम रहा हैं। तदनुसार, आरोपी व्यक्तियों को उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया।

11. विचारण न्यायालय के उपरोक्त फैसले के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसे आक्षेपित फैसले से खारिज कर दिया गया। इसलिए, उक्त दोनो अपीलें दायर की गईं हैं।

12. जहां तक प्रदीप सिंह और उनकी पत्नी संजना देवी की अपील आपराधिक अपील संख्या 514/2006 का संबंध है, हमारी राय है कि उक्त अपील स्वीकार की जानी चाहिए और अपीलार्थीगण संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

13. यह साक्ष्य में यह आया है कि, आपराधिक अपील संख्या 513/2006 में अपीलार्थी राजा लाल सिंह अपनी पत्नी, मृतक गायत्री, के साथ भवन की प्रथम मंजिल पर रहते थे, जबकि प्रदीप सिंह और उनकी पत्नी संजना देवी भू-तल पर रहते थे। स्वीकृत है कि, मृतका गायत्री प्रथम मंजिल पर अपने पति के कमरे में फांसी लगाने के कारण मृत पाई गई थी। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता प्रदीप सिंह और संजना देवी का उस घटना में कोई हाथ था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, और किसी भी स्थिति में हमारी राय है कि संदेह का लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रश्नगत भवन के भू-तल पर निवास करते थे।

14. निःसंदेह, कुछ गवाह जैसे कि पी.डब्लू.-5 दशरथ सिंह, जो मृतका गायत्री के पिता हैं और पी.डब्लू.-3 संतोष कुमार सिंह, जो मृतका का भाई हैं, ने कथन किया है कि मृतका गायत्री ने उन्हें बताया था कि दहेज की मांग न केवल राजा लाल सिंह, बल्कि अपीलार्थी प्रदीप सिंह और उसकी पत्नी संजना देवी ने भी की थी, किन्तु हमारी

राय के अनुसार यह संभव है कि प्रदीप सिंह और संजना देवी का नाम केवल उन्हे फंसाने के लिए प्रस्तुत किया गया है जैसा कि अक्सर 498-ए और 394 भा.द.सा. के प्रकरण में होता हैं, जैसा कि इस न्यायालय के कई फैसलों में देखा गया है, उदाहराणार्थ *कामेश पंजियार@कमलेश पंजियार बनाम बिहार राज्य (2005) 2 एस.सी.सी. 388 आदि*। इसलिए, प्रदीप सिंह और संजना देवी की अपील अनुज्ञात की जाती है और उनके संबंध में उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को अपास्त किया जाता है और हम निर्देश देते हैं कि जब तक किसी अन्य मामले के संबंध में आवश्यक न हो, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

15. हालाँकि, हमारी राय है कि राजा लाल सिंह की अपील अस्वीकार की जानी चाहिए। राजा लाल सिंह मृतका गायत्री के पति हैं और वह उनके साथ प्रश्नगत भवन की प्रथम मंजिल पर रहते थे। इसलिए, उन्हें यह स्पष्ट करना था कि गायत्री की मृत्यु कैसे हुई। जिस कमरे में वह अपने पति राजा लाल सिंह के साथ रहती थी, उसी कमरे में उन्हें साड़ी से पंखे पर लटकी हुई पायी गयी। हालाँकि, राजा लाल सिंह इस संबंध में साक्ष्य देने के लिए साक्ष्य कठघरे में नहीं आए।

16. यह इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृखंला द्वारा तय किया जा चुका है कि जहां तक धारा 304-बी का संबंध है, यह प्रासंगिक नहीं है कि यह हत्या या आत्महत्या का मामला है अथवा नहीं, सतवीर सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2001) 8 एस.सी.सी 633, पैरा 18 देखें।

17. सतवीर सिहं (यथोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 304-बी के आवश्यक घटक हैं: (I) किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थिति में हुई। (ii) उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की किसी भी मांग के संबंध में वह क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार हुई हो।

वर्तमान मामले में गायत्री की मृत्यु विवाह के लगभग 7 माह पश्चात अप्रैल 2000 हुई। साथ ही, साक्ष्य में यह बात भी आई कि उसकी मृत्यु से ठीक 10 या 15 दिन पूर्व उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। यह उसके पिता पी.डब्लू.-5 और भाई पी.डब्लू.-3 की साक्ष्य में आया है और उन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। उसे पहले भी दहेज की मांग के कारण उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था, जब वह अगस्त, 2000, में अपने माता-पिता के घर आयी थी, जैसा कि पी.डब्लू.-5 दशरथ सिंह की साक्ष्य में आया हैं। इस प्रकार, हमारी राय में धारा 304-बी भा.द.सा. के तत्व इस मामले में संतुष्ट हैं। [इस संबंध में *टी. अरुन्तपेरुन्जोथी बनाम राज्य*, [2006] 9 एस.सी.सी 467 भी देखें।]

18. यह उल्लेखित किया जा सकता है कि "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" शब्द का अर्थ उसकी मृत्यु से तुरंत पहले होना जरूरी नहीं है। जैसा कि सतवीर सिंह (यथोक्त) में उल्लेख किया गया हैं, यह वाक्यांश एक प्रत्यास्थ अभिव्यक्ति है और यह मृतका की मृत्यु से तुरंत पहले या मृत्यु से कुछ दिनों या कुछ हफ्तों पहले की अवधि को संदर्भित कर सकता है। अन्य शब्दों में, मृतका की मृत्यु और दहेज संबंधी उत्पीड़न या क्रूरता के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए।

19. प्रस्तुत मामले मे, हमारी राय है कि मृतका गायत्री की मृत्यु और दहेज संबंधी उत्पीड़न के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, यहां तक कि यदि मृतका गायत्री के द्वारा आत्महत्या ही की गई हो, फिर भी धारा 304-बी लागू हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अत्यधिक दुख व अवसाद के कारण आत्महत्या कर लेता हैं। इस प्रकार, यहां तक कि यदि गायत्री द्वारा आत्महत्या कि गई, यह प्रत्यक्ष रूप से इसलिए था क्योंकि वह अत्यंत दुखी थी, और जब तक उसके पति ने आत्महत्या के लिए कोई संतोषजनक वैकल्पिक स्पष्टीकरण नहीं दिया, तब तक यह

मानना होगा कि दहेज की लगातार मांग के कारण उसने आत्महत्या की। साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि मृतका गायत्री के पिता एक गरीब व्यक्ति थे और उनके पास तुरंत दहेज देने के लिए धन राशि नहीं थी तथा वे जनवरी, 2001 तक का समय चाहते थे, जिससे कि वे अन्यत्र कहीं से राशि कि व्यवस्था कर सकें, लेकिन अपीलार्थी राजा लाल सिंह हृदयहीन था और वह अपनी मांग की तत्काल पूर्ति करवाना चाहता था। जबकि वह पूरी नहीं हुई तो उसने या तो मृतका गायत्री की हत्या कर दी या दहेज की उक्त मांग के कारण उसे इतना परेशान किया कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई। हमारी राय में, गायत्री की हथेली पर लिखावट होना, प्रासंगिक नहीं हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये हम राजा लाल सिंह की अपील को खारिज करते हैं।

20. परिणामतः राजा लाल सिंह द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 513/2006 को खारिज किया जाता है, जबकि प्रदीप सिंह और संजना देवी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 514/2006 को अनुज्ञात किया गया।

डी.जी. आपराधिक अपील संख्या 513/2006 खारिज।

आपराधिक अपील संख्या 514/2006 स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गिरीश अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।